

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004



क्रमांक एफ 5-2/2019/1/8  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/03/2019

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,  
मध्यप्रदेश।

*Handwritten signature and date 14.3.19*

विषय:- उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसरों के सीमित किए जाने के कारण त्वरित कार्यवाही के संबंध में।

विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा High Court Rules-2008 में संशोधन किया गया है। उक्त नियमों के Chapter V REGISTRY (A) Powers, Duties and Functions of The Registrar:-की कंडिका 1 (1) (cc) निम्नानुसार है:-

1. (1) (cc) to grant extension of time for filing pleadings/filing of return/rejoinder, provided that the Registrar shall not grant more than two extensions for the same purpose and at a time no more than 15 days time shall be given for compliance of the directions.


2/ इसी कंडिका में संशोधन द्वारा निम्नानुसार पैराग्राफ जोड़ा गया है:-

If after extension of time by the Registrar, no pleadings/ return/rejoinder is filed by the party (s), his opportunity of such filing shall be deemed to be closed and matter be treated as ripe for final hearing unless request has been made by the concerning party before the Bench.

2/ नियमों में तदनुसार संशोधन से स्पष्ट है कि प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत करने, रिजाइण्डर प्रस्तुत करने एवं डिफाल्ट दूर करने हेतु प्रिंसीपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय द्वारा केवल दो बार 15-15 दिन का अवसर दिया जाएगा। इसके उपरांत जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त माना जावेगा।

3/ अतः अनुरोध है कि उच्च न्यायालय में आपके विभाग के प्रचलित प्रकरणों में जवाब/रिजाइण्डर आदि प्रस्तुत करने हेतु शीघ्रता से कार्यवाही की जाए। इस संबंध में आपके अधीनस्थ कार्यालयों, न्यायालयीन प्रकरणों के नोडल अधिकारियों तथा प्रभारी अधिकारी को अवगत कराते हुए यह भी निर्देशित किया जाए कि प्रिंसीपल रजिस्ट्रार द्वारा अवसर प्रदान किए जाने वाले प्रकरणों की प्रतिदित मॉनिटरिंग करें और सुनवाई की तिथि से पर्याप्त समय पहले ही जवाब/रिजाइण्डर आदि प्रस्तुत किया जाए।

4/ यह भी अनुरोध है कि न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाने संबंधी आदेश में प्रभारी अधिकारी का ई मेल एड्रेस तथा मोबाइल नम्बर अंकित कर आदेश की एक प्रति उच्च न्यायालय की संबंधित पीठ के अनुसार, कार्यालय संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय, जबलपुर, इन्दौर अथवा ग्वालियर को भी आवश्यक रूप से भेजी जाए।

  
( व्ही.सी. सेमवाल )  
अपर मुख्य सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5-2/2019/1/8  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 12/03/2019

- 1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
- 2 रजिस्ट्रार,, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ  
ग्वालियर/इन्दौर
- 3 सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 4 सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर,
- 5 महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 6 अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 7 राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
- 8 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
- 9 प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र.  
भोपाल
  
- 10 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 11 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
- 12 सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
- 13 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
- 14 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन,  
भोपाल।
- 15 आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 16 संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्व, जबलपुर/ इन्दौर/  
ग्वालियर।
- 17 अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग, (समस्त कक्ष) मंत्रालय, भोपाल
- 18 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता  
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/ इन्दौर।

M

(मनीषा सैतिया)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग